न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–15/2024–25

1. प्रमोद कुमार सिंह
2. गौतम सिंह
3. रवि सिंह, तीनों के पिता–स्व0 बसंत सिंह

सभी साकिन–एदला, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा.....प्रथम पक्ष

बनाम

1. सुनिता देवी, पति–प्रदीप कुमार साहु
2. प्रदीप कुमार साहु, पिता–स्व0 पच्चु साव
3. रंजीत सिंह
4. जषवंत सिंह, उर्फ कारू सिंह
5. शिव सिंह
6. इन्दर सिंह
7. सुरेन्द्र सिंह
8. विरेन्द्र सिंह, सभी के पिता–स्व0 प्रेम सागर सिंह
9. देवराज सिंह, पिता–स्व0 पृथ्वी सिंह

सभी साकिन–एदला, थाना–सिमरिया जिला–चतरा ..... द्वितीय पक्ष

1	2	3

आदेश

1. इस वाद की प्रक्रिया आवेदक–प्रमोद कुमार सिंह एवं अन्य कुल–03 ग्राम–एदला, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। इस वाद में द्वितीय पक्ष–सुनिता देवी, पति–प्रदीप कुमार साहु एवं अन्य कुल–09, ग्राम–एदला, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा है। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट सं0	कुल रकबा (एकड़ में)	अम्युक्ति
एदला	16	124	0.24	

2. यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित कथन/आवेदन दाखिल कर न्यायालय को बताया गया कि:–

(2.1) यह कि सिमरिया अंचल अंतर्गत हल्का–07, थाना संख्या–164, मौजा–एदला, खाता संख्या–16, प्लॉट संख्या–124, कुल रकवा–1.25ए0 भूमि आवेदक के पुर्वज ठाकुर त्रिवेणी सिंह के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है तथा अपने जिवनकाल में दखल कब्जा में रहे इसके उरान्त वारिसानों का दखल–कब्जा रहा।

(2.2) यह कि प्रश्नगत भू–खण्ड एवं अन्य भूमि आवेदकगण को खतियान एवं कोर्ट बटवारा नामा के माध्यम से पूर्वज ठाकुर त्रिवेणी सिंह के नाम से कोर्ट के द्वारा वर्ष–1927 ई0 में खेवट बटवारा किया गया है जिसमें आवेदक के पूर्वज ठाकुर त्रिवेणी सिंह को खेवट संख्या–2/2 का सम्पूर्ण भूमि मिला है जबकि विपक्षी संख्या–03 से लेकर 09 तक पूर्वज ठाकुर देवी सिंह के नाम से कोर्ट के द्वारा वर्ष–1927 ई0 में खेवट बटवारा में खेवट संख्या–2/1 का सम्पूर्ण भूमि मिला था।

Scanned with OKEN Scanner

(2.3) द्वितीय पक्ष के पक्षकार संख्या–03 से लेकर 08 तक के पूर्वज प्रेम सागर सिंह, पिता–हरिहर सिंह एवं विपक्षी संख्या–09 देवराज सिंह, पिता–स्व0 पृथ्वी सिंह के द्वारा फर्जी केवाला के माध्यम से विपक्ष संख्या–01 सुनिता देवी, पिता–प्रदीप कुमार साहु के नाम से बिक्री किया गया है जो गलत है क्योंकि प्रेम सागर सिंह एवं देवराज सिंह का कभी भी प्रश्गत भू–खण्ड पर कोई हक–हिस्सा प्राप्त नहीं है तथा अंचल कार्यालय को अपने मेल में लाकर मौजा–एदला खाता संख्या–16, प्लॉट संख्या–124, रकवा–0.24ए0 भूमि की मजमाबंदी पंजी–II के 126/8 पर सुनिता देवी, पति–प्रदीप कुमार साहु के नाम से जमाबंदी कायम करवा लिया गया है जो अवैध है तथा तत्काल रद् करने योग्य है इनके नाम से अंचल अधिकारी, सिमरिया के द्वारा दिनांक–12.11.2023 ई0 को वर्ष–1998–99 से वर्ष–2023–24 तक बिना दाखिल–खारिज के ही जमाबंदी कायम कर दिया गया है जो संदेहात्मक है। आवेदकगण के द्वारा कभी भी प्रश्नगत भू–खण्ड का विक्री नहीं किया गया है।

(2.4) प्रथम पक्ष के द्वारा अनुरोध किया गया है कि पंजी–II के पृष्ठ संख्या–126/8 पर सुनिता देवी के नाम से कायम की गई अवैध जमाबंदी को रद् करते हुए प्रथम पक्ष के नाम से जमाबंदी कायम करने का आदेश देने की कृपा करें।

(2.5) प्रथम पक्ष द्वारा अपने दावे समर्थन में 1. खेवट संख्या–2/2 की प्रति 2. जमीनदारी लगान रसीद 3. ऑफलाईन पंजी–II की छायाप्रति 4. बटवारा नामा की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

3. द्वितीय पक्ष के पक्षकार संख्या–01 सुनिता दंवी एवं 02 प्रदीप कुमार साहु के द्वारा अपने दावे समर्थन में लिखित कथन दाखिल कर इस न्यायालय में निम्न तथ्यों को रखा है।

(3.1) यह कि द्वितीय पक्ष के पक्षकार संख्या–01 एवं 02 आपस मे पति–पत्नी है इन्हें खाता संख्या–16, प्लॉट संख्या–124 में रकवा–0.24 ए0 एवं खाता संख्या–264, प्लॉट संख्या–117, रकवा–0.24ए0 कुल रकवा–0.48 ए0 भूमि केवाला संख्या–3801, दिनांक–25.08.1998 से प्राप्त है इस केवाला में विक्रेता–प्रथम पक्ष के पूर्वज प्रेमसागर सिंह एवं देवराज सिंह है। प्रश्नगत भू–खण्ड केवाला के प्राप्त होने के उपरान्त सुनिता देवी के द्वारा जमाबंदी कायम करवाते हुए दखल कब्जा में आये।

(3.2) यह कि खाता संख्या–16, प्लॉट संख्या–124 में सुनिता देवी, पति–प्रदीप कुमार साहु के द्वारा अबुआ आवास का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें 3.½ फीट चार दिवारी का निर्माण कराया जा चुका है इसके उपरान्त प्रथम पक्ष के द्वारा विवाद करते हुए वाद लाया गया है जबकि द्वितीय पक्ष के पक्षकार संख्या–03 से 09 तक के पूर्वज यादव सिंह को भूमि 60 वर्ष– पूर्व से ही प्राप्त है तथा दखल कब्जा कायम था। प्रथम पक्ष का प्रश्नगत भू–खण्ड पर केवाला उपरान्त कभी भी दखल–कब्जा नहीं रहा है अनुरोध है कि द्वितीय पक्ष के पक्षकार संख्या–01 एवं 02 की जमाबंदी को यथावत रखने की कृपा करें।

(3.3) द्वितीय पक्ष के पक्षकार संख्या–01 एवं 02 के द्वारा अपने दावे समर्थन में 1. केवाला की छायाप्रति 2. ऑफलाईन ऑनलाईन लगान की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

4. द्वितीय पक्ष के पक्षकार संख्या–03 से 09 क्रमशः रंजीत सिंह, जशवंत सिंह उर्फ कारू

Scanned with OKEN Scanner

सिंह, शिव सिंह इन्दर सिंह, सुरेन्द्र सिंह, विरेन्द्र सिंह सभी के पिता– स्व0 प्रेम सागर सिंह एवं देवराज सिंह पिता–स्व0 पृथ्वी सिंह के द्वारा लिखित कथन दाखिल कर इस न्यायालय में निम्न तथ्यों को रखा है।

(4.1) यह कि मामला मौजा–एदला, खाता संख्या–16, प्लॉट संख्या–124, कुल रकवा–1.25 ए0 मधे रकवा–0.24 ए0 से संबंधित है। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने आवेदन मे बताया है कि खेवट संख्या–2/2 के मालिक खेवटदार ठाकुर त्रिवेणी सिंह थे एवं खेवट संख्या–2/1 के मालिक द्वितीय पक्ष के पूर्वज ठाकुर देवी सिंह है तथा विपक्षी संख्या–03 से 09 के पूर्वज ठाकुर देवी सिंह ही है, यह सत्य है।

(4.2) यह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के पक्षकार संख्या–03 से 09 के पूर्वज मौजा–एदला के खेवटदार थे और उनके पास खेटव संख्या–2/1, 2/2, 2/5, 2/7 का शामिलात खेवटदारी थे। वर्ष–1925 ई0 में बटवारानामा किया गया जिसमें प्रथम पक्ष को खेवट संख्या–2/2, 2/5, 2/7 का मलिकाना हक प्राप्त हुआ जिसका समर्थन प्रथम पक्ष के द्वारा भी किया गया है। प्रथम पक्ष के पर्वूज त्रिवेणी सिंह के द्वारा खेवट संख्या–2/2, 2/5 एवं 2/7 की भूमि को केवाला संख्या–1571, दिनांक–12.06.1929 ई0 को ग्राम–सोहर के खेवटदार निरशा कुंवरी को बिक्री कर दिया गया।

(4.3) यह कि खेवट संख्या–2/2 के अंतर्गत खाता संख्या–16, प्लॉट संख्या–124, कुल रकवा–1.25 ए0 भूमि द्वितीय पक्ष के पूर्वज जादो सिंह को तत्कालीन खेवटदार निरशा कुंवरी के द्वारा हुकुमनामा के माध्यम से दे दिया गया। इस प्रकार उक्त भूमि द्वितीय पक्ष के पक्षकार संख्या–03 से 09 के पूर्वज जादो सिंह के दखल कब्जा में आ गया।

(4.4) यह कि प्रश्नगत भू–खण्ड का जमाबंदी द्वितीय पक्ष द्वारा कभी भी कायम नहीं कराया गया परन्तु दखल–कब्जा के आधार पर बिक्री किया गया जिनका जमाबंदी कायम लगान रसीद निर्गत है।

(4.5) यह कि प्रथम पक्ष के प्रमोद सिंह भूतपूर्व मुख्या थे उन्होनें ही अपने कार्यकाल में द्वितीय पक्ष के पक्षकारों को छः प्रधानमंत्री आवास आवंटित कराया जो कि प्रश्नगत खाते की अंतर्गत ही है। प्रथम पक्ष का कभी भी प्रश्नगत भू–खण्ड पर दखल–कब्जा नहीं रहा है सिर्फ द्वितीय पक्ष को परेशान करने हेतु वाद लाया गया है जो तत्काल खारिज करने योग्य है अनुरोध है कि प्रथम पक्ष का आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा करें।

(4.6) द्वितीय पक्ष के पक्षकार संख्या–03 से 09 के द्वारा अपने समर्थन में 1. वर्ष–1929 का केवाला की छायाप्रति एवं हिन्दी रूपांत्रित प्रति। 2. हुकुमनामा की छायाप्रति एवं हिन्दी रूपांत्रित प्रति 3. जमीनदारी लगान रसीद की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

5. उपरोक्त परिपेक्ष्य में उभय पक्षों द्वारा दाखिल लिखित कथन/लिखित बहस एवं राजस्व कागजातों के अवलोकन, विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने तथा अंचल अधिकारी, सिमरिया से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन उपरान्त निम्न तथ्य पाया गया :–

(5.1) अंचल अधिकारी, सिमरिया के द्वारा पत्रांक–961, दिनांक–15.07.2025 प्रतिवेदित किया गया है कि सुनिता देवी, पति–प्रदीप कुमार साहु द्वारा प्रश्नगत भू–खण्ड पर मकान निर्माण का कार्य किया जाना है इन्हें यह भूमि केवाला संख्या–3801, दिनांक–25.08.1998 से प्राप्त है इसमे विक्रेता प्रेमसागर सिंह, पिता–हरिहर सिंह

Scanned with OKEN Scanner

वो देवराज सिंह, पिता–पृथ्वी सिंह है, तथा लगान रसीद वर्ष–2024–25 तक निर्गत है प्रथम पक्ष प्रमोद सिंह के द्वारा बटवारा नामा प्रस्तुत किया गया है जिसमें खेवट संख्या 2/2 के मालिक त्रिवेणी सिंह प्रथम पक्ष के पूर्वज है तथा खेवट संख्या–2/1 के मालिक देवी सिंह द्वितीय पक्ष के पूर्वज है। प्रश्नगत भू–खण्ड खेवट संख्या–2/2 के अंतर्गत है। खतियान में प्रश्नगत भू–खण्ड का किस्म बकास्त, लगान पाने वाला ठाकुर त्रिवेणी सिंह के नाम से दर्ज है।

(5.2) प्रथम पक्ष के द्वारा दावा किया गया है कि खेवट संख्या–2/2 के मालिक त्रिवेणी सिंह, प्रथम पक्ष के पूर्वज है एवं खेवट संख्या–2/1 के मालिक ठाकुर देवी सिंह थे जो कि द्वितीय पक्ष के पक्षकार संख्या–03 से 09 तक के पूर्वज है यह खेवट का बटवारा वर्ष–1925 ई0 में किया गया था, उभय पक्ष द्वारा इस का समर्थन किया गया है। प्रश्नगत भू–खण्ड खेवट संख्या–2/2 के अंतर्गत आता है। और इसी के आधार पर प्रथम पक्ष अपना दावा कर रहे है वहीं दुसरी ओर द्वितीय पक्ष द्वारा बताया गया है कि वर्ष–1929 ई0 में प्रथम पक्ष के पूर्वज त्रिवेणी सिंह के द्वारा केवाला संख्या–1571, दिनांक–12.06.1929 ई0 को ग्राम–सोहर के खेवटदार निरशा कुंवरी को बिक्री कर दिया गया था, और इस प्रकार खेवट संख्या–2/2 के मालिक निरशा कुंवरी हो गई। केवाला के प्रति अभिलेख में संलग्न है। निरशा कुंवरी के द्वारा हुकुमनामा के माध्यम से मौजा–एदला, खाता संख्या–16, प्लॉट संख्या–124, कुल रकवा–1.25 ए0 द्वितीय पक्ष के पक्षकार संख्या–03 से 09 के पूर्वज जादो सिंह को दे दिया गया था। इस प्रकार प्रश्नगत भू–खण्ड के मालिक द्वितीय पक्ष हुए। द्वितीय पक्ष के द्वारा कभी भी जमाबंदी कायम नहीं करवाई गई थी परन्तु दखल–कब्जा के आधार पर खाता संख्या–16 की भूमि की बिक्री कई व्यक्तियों को किया गया जिनका जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत है। मामला आपसी बटवारा एवं हक–हकीयत से संबंधित प्रतीत होता है।

(5.3) द्वितीय पक्ष के पक्षकार सं0–3 से 9 के द्वारा बताया गया है कि द्वितीय पक्ष के पूर्वज जादो सिंह को प्रश्नगत् भू–खण्ड प्राप्त होने के उपरांत जमाबंदी कायम नहीं करवाया गया परन्तु विभिन्न व्यक्तियों में विक्रय किया गया है। यह राजस्व नियमों की अवेहलना है।

(5.4) द्वितीय पक्ष द्वारा बताया गया कि प्रथम पक्ष के प्रमोद सिंह भूतपूर्व मुखिया थे उन्होनें ही अपने कार्यकाल में द्वितीय पक्ष के पक्षकारों को छः प्रधानमंत्री आवास आवंटित कराया जो कि प्रश्नगत खाते की अंतर्गत ही है। इस पर प्रथम पक्ष द्वारा अपने समर्थन में कोई बात नहीं रखा गया है।

(5.5) द्वितीय पक्ष के पक्षकार संख्या–01 एवं 02 के द्वारा प्रश्नगत भू–खण्ड द्वितीय पक्ष के पक्षकार संख्या–03 से 09 के पूर्वज प्रेमसागर सिंह एवं देवराज सिंह से केवाला संख्या–3801, दिनांक–25.08.1998 के माध्यम से क्रय किया गया है तथा जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ संख्या–126/8 पर कायम होकर वर्ष–2024–25 तक लगान रसीद निर्गत है वर्तमान में द्वितीय पक्ष के सुनिता देवी के द्वारा प्रश्नगत भू–खण्ड पर अबुआ आवास निर्माण कार्य किया जा रहा था जो कि वाद प्रारम्भ होने पर स्थगित है।द्वितीय पक्ष की जमाबंदी 27 वर्षों से चली आ रही है। इस सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची द्वारा 2008 (3) JCR 639 (Jharkhand) ***Dineshwar Prasad V/s***

Scanned with OKEN Scanner

Jharkhand State में कहा गया है कि ***"Long running jamabandi cannot be cancelled except by decree or order of competent court"***लम्बे समय से चली आ रही जमाबन्दी को रद्द करने की शक्ति इस न्यायालय में निहित नहीं है।

उक्त परिपेक्ष्य में स्पष्ट है कि मामला आपसी बटवारा एवं हक–हकीयत से संबंधित है जिसका निर्णय इस न्यायालय से सम्भव नहीं है। जहाँ तक राजस्व हीत की बात है तो जबतक किसी सक्षम न्यायालय में निर्णय नहीं होता है तबतक अंचल अधिकारी, द्वितीय पक्ष के पक्षकार संख्या–01 सुनिता देवी के नाम से कायम जमाबंदी से लगान की वसुली करेंगे।

वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है। असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित।

29/11/२०२५

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

29/11/२०२५

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by Sunny Raj
Date: 2025.11.29 13:25:49 +05:30
Location: 10.93.203.99

Scanned with OKEN Scanner